बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

शिक्षा विभाग से संबंधित माननीय न्यायालयों में दायर याचिकाओं आदि में तथ्य कथन विवरणी तैयार कर ससमय प्रतिशपथ दायर करने में सहयोग हेतु विभाग में पूर्व से विद्यमान पैनल में नए सुयोग्य अधिवक्ताओं को सम्मिलित किया जाना है।

2. इच्छुक सुयोग्य अधिवक्ता इस हेतु अपना आवेदन एवं बायो–डाटा दिनांक–15.04.2026 तक विभागीय ई–मेल direducation.ad@gmail.com समर्पित कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं में से short Listed अधिवक्ताओं को विभागीय स्क्रीनिंग समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से सुसंगत कागजातों के साथ उपस्थित होना होगा। स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने की तिथि/समय की सूचना आवेदित अधिवक्ताओं को उनके ई–मेल पर अलग से दी जायेगी।

4. पैनल अधिवक्ता के रूप में सूचीबद्ध होने के उपरान्त तथ्य कथन विवरणी तैयार कर/टंकित कराकर प्रस्तुत करने पर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर पर नियमानुसार भुगतान देय होगा।

(मनोरंजन कुमार),
निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांक :– 04/वि०–16–01/2021 613 पटना, दिनांक 06-04-2026

प्रतिलिपिः– :– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सूचना भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस प्रेस–विज्ञप्ति को लोकप्रिय हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों के राज्य स्तरीय संस्करण में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित की गयी प्रेस–विज्ञप्ति समाचार पत्र कतरन की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 06-04-2026 11:47:40
निदेशक (प्रशासन)।